भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1881
06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

1881. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व सैनिक संगठनों की सभी मांगों का समाधान कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय सहित वन रैंक वन पेंशन के नवीनतम संशोधन के वित्तीय निहितार्थों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन के संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीयता का आकलन किया है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और इनके समाधान के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): सरकार ने दिनांक 07.11.2015 के अपने पत्र द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार, मंत्रालय के दिनांक 10.07.2024 के पत्र द्वारा ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया जा चुका है जो दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ख): दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6703.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों की संख्या 19,64,973 है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.): सरकार ने ओआरओपी के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

*****